परिषद की वर्ष 1980 की तृतीय बैठक

दिनांक 7-6-80

निम्नलिखित उपस्थित थे:—

(1) श्री बी0जे0बोदायजी		अध्यक्ष
(2) श्री दयानन्द व्यास	सदस्य, विधान परिषद	सदस्य
(3) श्री भगवती प्रसाद वर्मा	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल निगम	सदस्य
(4) श्री जे0पी0दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(5) श्री जवाहर लाल शुक्ल	अनुसचिव, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
(6) श्री कमल पाण्डे	आवास आयुक्त	सदस्य

बैठक की कार्यवाही पर विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:—

क्र0सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
(1)	दिनांक 28-3-80 को परिषद मुख्यालय पर हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	111/(1)/80	बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
(2)	परिषद की बैठक दिनांक 28-3-80 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।	111/(2)/80	परिषद द्वारा दिनांक 28-3-80 की बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया और निम्नलिखित निर्देश दिये गये:— 1- हरदोई में जिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर नजूल भूमि उपलब्ध कराने विषयक प्रस्ताव को समाप्त किया गया क्योंकि उपलब्ध सूचना के अनुसार नजूल भूमि उपलब्ध नहीं है तथा हरदोई में परिषद द्वारा दो योजनायें विज्ञापित की जा चुकी है। 2- राज्य विद्युत परिषद अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग जहां से भी संभव हो, अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) की सेवायें शीघ्र प्राप्त की जायं। 3- भू-प्रयोग परिवर्तन के जो मामले शासन स्तर पर विचाराधीन हैं उनकी महीने में कम से कम एक बार मानीटियरिंग होनी चाहिए। यदि संयुक्त सचिव स्तर पर विचाराधीन विषयों का निर्णय नहीं हो सका है तो सचिव स्तर पर वार्ता की जाय। 4- कोयले की उपलब्धता के लिये कार्य निदेशक अध्यक्ष महोदय को एक नोट प्रस्तुत करें जिससे वे आगामी दिल्ली यात्रा के समय भारत सरकार के अधिकारियों से वार्ता कर सकें।

क्र0प0उ0

5- अलीगढ़ की नाई योजनाओं के लिये भूमि अध्याप्ति की धारा-28 का प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

6- मुख्यालय पर वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर कार्यवाही हो रही है। स्मरण कराया जाय।

7- सहायक निदेशक (जन सम्पर्क एवं प्रचार) के वर्तमान पद के उच्चीकरण के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक की रिपोर्ट परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

8- परिषद व्दारा निर्मित आवासीय कालोनीज़ का स्थानीय निकायों व्दारा 'टेक-ओवर' करने के प्रश्न पर आवास आयुक्त तथा प्रशासक, नगर महापालिका की बैठक हो। डायमण्ड डेरी व तालकटोरा योजनाओं के लिये यह बैठक शीघ्र कर ली जाय।

9- आवास विकास परिषद की देहरादून रोड रुड़की पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना में समाविष्ट खसरा नं0-1171 से 1178 तक को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में गठित उप-समिति की बैठक की रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

10- सम्पत्ति प्रबन्ध के पुनर्गठन से उत्पन्न समस्याओं से सम्बन्धित रिपोर्ट छः मास के बाद परिषद को प्रस्तुत की जाय। इस सम्बन्ध में जो कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं उन पर व्याख्यात्मक टिप्पणी दी जाये।

11- आवास विकास परिषद की योजनाओं में समाविष्ट भूमियों को अध्याप्ति हेतु दो अतिरिक्त विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही की जाय।

12- परिषद व्दारा नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन, नई दिल्ली के माध्यम से लीबिया में भवन निर्माण कार्य किये जाने के सम्बन्ध में 'डिटेल्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट' नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन से बात कर तथा यदि आवश्यक हो तो वहां जाकर परिषद की अगली बैठक में व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत की जाय।

13- हडको तथा हरिओम आश्रम ट्रस्ट व्दारा संयुक्त रूप से संचालित 'लो कास्ट हाउसिंग डिज़ाइन कम्पीटीशन' (अरबन 1979) व्दारा उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की राम सागर मिश्र नगर योजना तथा नन्दनपुरा योजना, झांसी को क्रमशः प्रथम तथा व्दितीय पुरस्कार प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में स्टाफ को एक समारोह आयोजित कर पुरस्कृत किया जाय।

ह0प0उ0

परिवार कल्याण के अन्तर्गत सरकारी रियों को अतिरिक्त िन दिये जाने की व्यवस्था।	111/(3)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
द के अधिकारियों/कर्मचारियों ाया पद्धति पर परिषद ोजनाओं में भवन आवंटन।	111/(4)/80	उपसमिति की संस्तुति पर परिषद ने सिद्धान्त: स्वीकृति प्रदान की और निर्देश दिये कि परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को किराये पर भवन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में एक विस्तृत स्कीम परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाय जिसमें वित्तीय अधिभार, मकानों की संख्या नगर एवं योजना का नाम आदि परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय। परिषद की जानकारी में यह भी लाया गया कि अन्य संस्थाओं में इसी प्रकार की योजनायें बना ली हैं।
स एवं विकास परिषद तिनियुक्ति पर आये तथा द द्वारा सीधी भर्ती से न अधिकारियों/कर्मचारियों चिकित्सिक सुविधा दिया जाना।	111/(5)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
नियोजन एवं वास्तुकला ाग का पुनर्गठन।	111/(6)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव का अवलोकन किया तथा निम्नलिखित नये प्रस्तावित पदों की स्वीकृति प्रदान की:- 1- वास्तुविद् नियोजक 1 2- सहायक वास्तुविद् नियोजक 3 3- आशुलिपिक 2 4- फैरो ब्वाय 1 जहाँ तक वरिष्ठ नगर नियोजक के पदनाम बदलने का प्रस्ताव था परिषद ने आदेश दिये कि अन्य संस्थाओं से जानकारी प्राप्त करके पुन: रखा जाय।
लाइन्स भूमि योजना, फैज़ाबाद ल 15 एकड़ ित लागत 13.30	111/(7)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को समाप्त करने की अनुमति प्रदान की।
ड़की मार्ग(जी0टी0मार्ग) ावासीय योजना सं0-2 रनगर का धारा-28 हेतु एवं प्राक्कलन।	111/(8)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की।
ोड गृहस्थान योजना में सचिवालय कोआपरे- ाउसिंग सोसायटी को दियेजाने के सम्बन्ध में।	111/(9)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
ण कार्य की समीक्षा अप्रैल-80 तक)	111/(10)/80	परिषद ने निर्माण कार्यों की समीक्षा की और निम्नलिखित निर्देश दिये:- 1- भूमि अध्याप्ति की प्रगति मन्द है। अध्याप्ति किये जाने वाले स्थलों का चयन किया जाय तथा अधिक से अधिक भूमि का कब्ज़ा प्राप्त करने की कार्यवाई की जाय। 2- भूमि विकास का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत कम है। विकास की गति बढ़ाई जाय। 3- भूखण्डों की भी मानीटियरिंग उसी तरह की जाय जिस तरह भवनों की की जा रही है तथा अधिक से अधिक

कृ0प0उ0

1	2	3	4
			संख्या में विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराये जाय। 4- भौतिक प्रगति के आंकड़ो के साथ वित्तीय प्रगति की भी समीक्षा की जाय। यह समीक्षा त्रैमासिक हो। 5- भौतिक लक्ष्यों में रेवेन्यू डिपाजिट्स वर्क रूरल हाउसिंग वर्क तथा अन्य वे सभी कार्य जो अन्य विभागों व्दारा शासन के आदेश के अन्तर्गत परिषद को सौंपे गये हैं, को सम्मिलित किया जाय। 6- बड़ी कालोनीज़ में शैय्या वाले अस्पताल, पुलिस स्टेशन तथा कम्युनिटी सेन्टर का प्राविधान निश्चित रूप से किया जाय। जिन कालोनीज़ में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है वहां इसकी उपलब्धता पर विचार किया जाय। 7- Arboriculture तथा Environmental improvement & maintenance के बारे में भी विकास के अनुमानित कागज़ात बनाते समय प्राविधान रखा जाय।
	...ी पीलीभीत मार्ग ...ना सं0-3, बरेली में ...न0आ0व0(2/79) ...र के भवनों का निर्माण ...।	III/(11)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
	...0आवास एवं विकास ...षद व्दारा प्रदेश के ...ण क्षेत्रों में आवासीय ...ों का निर्माण।	III/(12)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव की समीक्षा की तथा सर्वसम्मति से परिषद में रूरल हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत एक सेल खोलने की स्वीकृति प्रदान की जिसमें निम्नलिखित स्टाफ की भी स्वीकृति प्रदान की:- 1- अधिशासी अभियन्ता 1 800-1450 2- सोशियोलाजिस्ट 1 550-1200 3- सहायक अभियन्ता 2 550-1200 4- कम्प्युटर 1 325-575 5- अवर अभियन्ता 4 300-500 6- एकाउन्टेन्ट-कम-हैड एसिस्टेन्ट- 1 350-700 7- निम्न श्रेणी सहायक 1 230-385 8- टाइपिस्ट 1 200-320 9- आशुलिपिक 1 300-500
	...आवास एवं विकास ...र व्दारा बुन्देलखण्ड ...द्यालय के लिये भवनों ...र्माण।	III/(13)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
	...य सामान्य बीमा ... व्दारा 1.5 करोड़ ... के अन्तर्गत बनाये ...ाले 3000 ई0डब्लू0 ...भवनों के सम्बन्ध में।	III/(14)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

Pateel

क0प030

2	3	4
(15)...नियंत्रण कोष्ठ ...ठन।	111/(15)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की तथा निर्देश दिये कि क्वालिटी नियंत्रण कोष्ठ की कार्यप्रणाली एवं स्टाफ के सम्बन्ध में आदेश निर्गत होने के पूर्व प्रो0दिनेश मोहन, निदेशक, सी0बी0आर0आई0, रुड़की तथा परिषद सदस्य को इसको दिखा दिया जाय। परिषद ने निम्नलिखित स्टाफ की भी स्वीकृति प्रदान की:— 1- तकनीकी सहायक 16 230-350 2- लैब इन्चार्ज 1 550-1200 3- वरिष्ठ तकनीकी सहायक 1 300-500 4- तकनीकी सहायक तथा निम्न श्रेणी सहायक-कम-टाइपिस्ट 3 230-385 5- लैब ब्वाय 4 165-215 6- अर्दली 1 165-215 7- ड्राइवर 1 175-225
...द द्वारा निर्माण ...ी का उत्पादन।	111/(16)/80	परिषद द्वारा सिद्धान्त रूप में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तथा निम्नलिखित निर्देश दिये गये:— 1- स्थानीय उद्योग विभाग तथा यू0पी0एस0आई0टी0कानपुर से परामर्श प्राप्त कर कार्य किया जाय। 2- इलाहाबाद टाइल्स की कम्पोस्ट क्ले टाईप यूनिट खोलने पर भी विचार किया जाय। 3- अन्य निर्माण सामग्रियों के साथ दरवाज़ा, खिड़की आदि बनाने के सम्बन्ध में भी विचार किया जाय। 4- परिषद द्वारा विद्युत/ यांत्रिक के स्वीकृत पदों के विरूद्ध एक सहायक अभियन्ता व एक अवर अभियन्ता मुख्यालय पर नियुक्त करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
...गर, मिश्र नगर के सेक्टर-6 में उपलब्ध अतिरिक्त ...: एम0ए0/79 के भवनों का निर्माण।	111/(17)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
भूमि विकास एवं योजना खटीमा ...-28 के अन्तर्गत एवं प्राक्कलन।	111/(18)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव की उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की।
टनकपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना टनकपुर की धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	111/(19)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को उ0प्र0आवास एवं विकासपरिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की।
...री कम्पोजिट हाउसिंग ...मि देहली रोड योजना ...द्वार(स्कीम नं0-1257 ...0)	111/(20)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

2	3	4
द के चतुर्थ श्रेणी ारियों को टैरीकाट दिये जाने के सम्बन्ध	111/(21)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव को सिद्धान्तः स्वीकृति प्रदान की तथा निर्देश दिये कि सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही इसे कार्यान्वित करें।
ख भवनों के निर्माण ि हेतु फर्रुखाबाद वानी में डिसबर्सिंग जिन खोलने की स्वीकृति।	111/(22)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
सागर मिश्र नगर विस्तार ि, लखनऊ में समाविष्ट ी वाले क्षेत्रों के मध्य अध्याप्ति करने के सम्बन्ध	111/(23)/80	परिषद ने निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति इस विषय का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये गठित की:- 1- श्री आर०के०गुप्ता, प्रशासक, नगर महापालिका 2- श्री जे०पी०दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक 3- श्री दयानन्द व्यास, सदस्य, विधान परिषद। इसकी रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये।
ुर भूमि विकास एवं ान योजना, गाज़ीपुर।	111/(24)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अनुमति दी।
री देवी मन्दिर भूमि (एवं गृहस्थान योजना ित क्षेत्रफल 15.38 (30.00 एकड़) अनुमानित लागत 26.21 लाख।	111/(25)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अनुमति दी।
लाइन्स भूमि विकास हस्थान योजना सं0-5	111/(26)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अनुमति दी।
गुलावठी मार्ग पर ी निवास के समीप ास एवं गृहस्थान संख्या-1, बुलन्दशहर	111/(27)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अनुमति दी।
र एवं शिकारपुर (टांडा गाँव के पीछे ास एवं गृहस्थान सं0-2, बुलन्दशहर।	111/(28)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अनुमति दी।

कृ0प0उ0

1 2	3	4
ली रोड भूमि विकास गृहस्थान योजना ख्या-1, बिजनौर।	111/(29)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
निटियरिंग कोष्ठ के कार्य-ापों की समीक्षात्मक पणी।	111/(30)/80	प्रणाली को देखकर परिषद के सदस्यों ने सन्तोष और प्रसन्नता व्यक्त की और तथा यह निर्देश दिये कि मानीटियरिंग की सीमा के अन्तर्गत सम्पत्ति प्रबन्ध एवं लेखा को भी सम्मिलित कर लिया जाय जिससे भवनों के आवंटन और किश्तों की वसूली के संबंध में जायजा लिया जा सके। स्टाफ की आवश्यकता को सिद्धान्त: मानते हुये परिषद ने निर्देश दिये कि ओ०एण्ड एम० समिति की संस्तुति के आधार पर स्टाफ के सम्बन्ध में प्रस्ताव परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
न अखिल भारतीय सिंग बोर्डस कान्फ्रेन्स-79 जो त्रिवेन्द्रम ल में हुई थी, की तुतियों के सम्बन्ध में।	111/(31)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
र-6 राम सागर मिश्र र योजना लखनऊ में एच०आई०जी०भवनों के र्माण हेतु वित्त पोषित योजना (सेल्फ फाइनेन्सिंग सिंग स्कीम)	111/(32)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
न व्दारा आवंटित वित्त ाग के निर्माण कार्यों को षद व्दारा डिपाजिट कार्य के रूप में सम्पादित करना।	111/(33)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
शासन व्दारा आवंटित न्याय विभाग के अनावासिक एवं आवासिक निर्माण कार्यों की परिषद व्दारा डिपाजिट कार्य के रूप में सम्पादित करना।	111/(34)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बाजपुर संख्या-1 का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	111/(35)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की।
हुको व्दारा वित्त पोषित तीय कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम नेहरूनगर देहरादून) ीम नं०-1300 सी०	111/(36)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
रिषद व्दारा जारी किये गये 12 प्रतिशत 55 करोड़ के डिबेन्चर्स पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के सम्बन्ध में।	111/(37)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।

क०प०उ०

2	3	4
...ध तथा ...के विकेन्द्रीकरण ...न पर सम्पत्ति ...यक निर्देश	111/(38)/80	परिषद ने सम्पत्ति प्रबन्ध के पुनर्गठन और विकेन्द्रीकरण पर निर्देश पुस्तिका का अवलोकन किया और प्रसन्नता व्यक्त की तथा यह भी निर्देश दिये कि इस विकेन्द्रीकरण योजना के सम्बन्ध में Appraisal रिपोर्ट अगली बैठक में रखी जाये तथा समस्याओं पर भी विचार करके व्याख्यात्मक टिप्पणी रखी जाय।
...की लेखा प्रणाली ...धार हेतु कन्सलटेन्ट ...नियुक्ति।	111/(39)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की।
...रिक सम्प्रेक्षण अनुभाग ...पुनर्गठन के संबंध में।	111/(40)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की और निम्नलिखित स्टाफ की भी स्वीकृति प्रदान की:- 1- सम्परीक्षण अधिकारी 1 550-1200 2- ज्येष्ठ सम्परीक्षक 1 350-700 3- कनिष्ठ सम्परीक्षक 2 300-500
...यांकन अनुभाग का ...र्गठन।	111/(41)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव एवं निम्नलिखित स्टाफ की स्वीकृति प्रदान की:- 1- सहायक अभियन्ता 1 550-1200 2- मुख्य सहायक 1 450-750 3- कम्प्यूटर 1 325-575 4- निम्न श्रेणी सहायक 1 230-350
...की अनुमति से ...अन्य विषय।	111/(42)/80	राजकीय निर्माण निगम द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग-2 नियंत्रण में आने वाले भवनों के हेतु परिषद द्वारा 2.00 करोड़ रुपये का ऋण देने के सम्बन्ध में। परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।

पुष्टि की गई

(हस्ताक्षर) 28/8/80

अध्यक्ष

28.8.80